

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार वैजूपाडा बनाम रामप्रसाद

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु.न. 793/2025

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

२४.१०.२५

यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का पून्दरपाडा ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का पून्दरपाडा के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाकं ग्राम खैरपुर पटवार हल्का पून्दरपाडा तहसील वैजूपाडा जिला दोसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 42 के खातेदार रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/12 जाति मीना सा. खैरपुर खातेदार एवं रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/150 जाति मीना सा. खैरपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त दर्ज रिकार्ड खातेदार की जांच की गई। जांच में रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/12 जाति मीना सा. खैरपुर खातेदार एवं रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/150 जाति मीना सा. खैरपुर की दोहरी प्रविष्टी पायी गई। उक्त दोहरी प्रविष्टी को रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 9/100 कर एक किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार वैजूपाडा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार वैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार वैजूपाडा द्वारा उक्त दोहरी प्रविष्टी खातेदार रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/12 जाति मीना सा. खैरपुर खातेदार एवं रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/150 जाति मीना सा. खैरपुर को खातेदार रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 9/100 शुद्ध किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खैरपुर पटवार हल्का पून्दरपाडा तहसील वैजूपाडा जिला दोसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 42 के खातेदार रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/12 जाति मीना सा. खैरपुर खातेदार एवं रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/150 जाति मीना सा. खैरपुर दोहरी प्रविष्टी को खातेदार रामप्रसाद पुत्र रामनारायण हिस्सा 9/100 शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार वैजूपाडा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दपतर हों।

निर्णय आज दिनांक २४.१०.२०२५ को सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी

मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी

मण्डावर (दौसा)